पत्रांकः उ0शि0आयोग / सी–759 / 435 / 2019–20 दिनांक : 12 जुलााई, 2019

विषयः आयोग के पोर्टल पर विज्ञप्ति अपलोड किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित विज्ञप्ति को आयोग के पोर्टल www.uphesconline.org पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18–ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज–211 001

उ0शि0आयोग / सी–759 / 435 (1) / 2019–20 **दिनांक : 12 जुलाई 2019**

प्रेस–विज्ञप्ति–08 (47)

दैनिक जागरण, प्रयागराज संस्करण में दिनांक आज दिनांक 12.07.2019 को पृष्ठ–4 पर **"सोशल विजलेंस' के घेरे में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग"** शीर्षक में जो भ्रामक समाचार प्रकाशित हुआ उससे आयोग की मर्यादा एवं गरिमा का ह्रास होता है। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी भ्रामक समाचार या बहकावे में न आवें और अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि कोई भी अभ्यर्थी चयन के सम्बन्ध में अनुरोध करता है, दबाव बनाता है अथवा किसी दलाल के माध्यम से आयोग को बदनाम करने का प्रयास करता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में किसी तरह की सिफारिश करने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम–1980 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आयोग के विरुद्ध यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भ्रामक सूचना दी जाती है, चयन के सम्बन्ध में कोई भी प्रलोभन दिया जाता है तो तत्काल ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना मा० अध्यक्ष महोदय को सप्रमाण उपलब्ध करायें। अभ्यर्थी के नाम, मोबाइल नम्बर एवं पता तथा उससे सम्बन्धित सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जायेगी तथा सम्बन्धित के ऊपर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

सचिव
उ0शि0 आयोग

डॉ०(शिवजी मालवीय)
उपसचिव